



Neutral Citation No- 2026:AHC:15942

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19516/2025

वरुण त्रिपाठी

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : रूपेश कुमार निगम, संकेत कुमार

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., श्रीमती चन्द्र कला चतुर्वेदी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रूपेश कुमार निगम और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता सुश्री चंद्र कला चतुर्वेदी को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना प्रतिवादियों से डाइंग इन हार्नेस नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए है, जो मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल और डाक अधिकारियों के अधीक्षक थे। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई एक प्रारंभिक आपत्ति कि रिट सुनवाई योग्य नहीं हो सकती है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता के पास न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय है। **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 1997 सुप्रीम कोर्ट 1125** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त तथ्य पर विवाद नहीं कर सके।



4. रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता के लिए धारा 19 (V) के तहत एक मूल आवेदन को मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण के समक्ष करने के लिए खुला छोड़ने के लिए किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)